बड़े धार्मिक/सार्वजनिक आयोजनों में भगदड़ व डूबने जैसी घटनाओं की रोकथाम हेतु आयोजकों (Organisers) हेतु सुरक्षा चेकलिस्ट

यह चेकलिस्ट उत्तर प्रदेश में बड़े धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या अन्य जनसमूह वाले आयोजनों के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य भगदड़, डूबने, आग, विद्युत दुर्घटना, स्वास्थ्य आपातस्थिति जैसी घटनाओं को रोकना है।

1. आयोजन से पूर्व (Pre-Event Planning)

- आयोजन स्थल की अधिकतम वहन क्षमता (Carrying Capacity) का वैज्ञानिक आकलन कराया गया है।
- एक समय में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की गई है।
- आयोजन की तिथि, समय, अवधि और कार्यक्रम का विस्तृत शेड्यूल तैयार किया गया है।
- जिला प्रशासन/पुलिस को अपेक्षित भीड़ का यथार्थ अनुमान लिखित रूप में दिया गया है।
- नदी, तालाब, घाट या जलाशय के निकट आयोजन होने पर डूबने के जोखिम का आकलन किया गया है।
- एक भीड़ प्रबंधन योजना (Crowd Management Plan) तैयार की गई है।

2. प्रवेश, निकास एवं भीड़ नियंत्रण

- प्रवेश एवं निकास मार्ग अलग-अलग, पर्याप्त चौड़ाई वाले तथा स्पष्ट चिन्हित हैं।
- सभी मार्गों पर वन-वे मूवमेंट सुनिश्चित किया गया है।
- आपातकालीन निकास (Emergency Exit) स्पष्ट रूप से चिह्नित हैं।
- बैरिकेडिंग मजबूत, सुरक्षित और भीड़ के दबाव को सहन करने योग्य है।
- संकरे रास्तों, मोड़ों और ढलानों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था है।

3. जल क्षेत्र / घाट प्रबंधन (यदि लागू हो)

- गहरे पानी वाले क्षेत्रों को रस्सी/बैरिकेड से प्रतिबंधित किया गया है।
- प्रशिक्षित तैराक, गोताखोर और लाइफ गार्ड तैनात किए गए हैं।
- लाइफ जैकेट, फ्लोटिंग ट्यूब, नाव और रस्सियों की उपलब्धता सुनिश्चित है।
- घाटों पर फिसलन रोकने के उपाय (मैट/रेलिंग) किए गए हैं।

4. विद्युत, अग्नि एवं संरचनात्मक सुरक्षा

- अस्थायी बिजली कनेक्शन मानकों के अनुसार और सुरक्षित हैं।
- खुले तार, ओवरलोडिंग या अवैध कनेक्शन नहीं हैं।
- अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguishers) पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं।
- पंडाल, मंच, टेंट और अस्थायी संरचनाएँ मजबूत व प्रमाणित हैं।

5. चिकित्सा एवं आपात व्यवस्था

- प्राथमिक चिकित्सा केंद्र/मेडिकल कैंप की व्यवस्था है।
- एंबुलेंस (ALS/BLS) स्थल पर या निकट उपलब्ध हैं।
- हीट स्ट्रोक, बेहोशी, चोट आदि के लिए विशेष तैयारी है।

6. संचार एवं सूचना प्रबंधन

- सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (PA System) कार्यशील है।
- स्वयंसेवकों/स्टाफ को आपात संदेश देने की व्यवस्था है।
- अफवाहों से बचाव हेतु आधिकारिक सूचना तंत्र बनाया गया है।

7. स्वयंसेवक एवं स्टाफ प्रबंधन

- स्वयंसेवकों को भीड़ नियंत्रण और आपदा प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया है।
- सभी स्टाफ/स्वयंसेवकों की पहचान (बैज/जैकेट) स्पष्ट है।
- महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष सहायता व्यवस्था है।

8. उत्तरदायित्व एवं बीमा

- आयोजक द्वारा दुर्घटना बीमा/दायित्व बीमा कराया गया है।
- आपात स्थिति में निर्णय लेने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित है।

बड़े धार्मिक/सार्वजनिक आयोजनों में भगदड़ व डूबने जैसी घटनाओं की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन / प्रशासनिक अधिकारियों हेतु सुरक्षा चेकलिस्ट

1. अनुमति एवं NOC जारी करने से पूर्व

- आयोजक द्वारा प्रस्तुत भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा एवं आपात योजना की जांच की गई है।
- स्थल की वहन क्षमता के अनुसार अनुमति दी गई है। पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, विद्युत, सिंचाई/नदी प्रबंधन विभाग से समन्वय किया गया है।
- संवेदनशीलता के आधार पर आयोजन को उच्च/मध्यम/सामान्य जोखिम श्रेणी में रखा गया है।

2. कानून-व्यवस्था एवं पुलिस व्यवस्था

- पर्याप्त संख्या में पुलिस बल/पीएसी/होमगार्ड की तैनाती की गई है।
- महिला पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था है।
- ड्रोन, सीसीटीवी या अन्य निगरानी साधनों का उपयोग किया गया है।
- वीआईपी मूवमेंट का भीड़ पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, यह सुनिश्चित किया गया है।

3. यातायात एवं पार्किंग प्रबंधन

- यातायात डायवर्जन प्लान पूर्व से जारी किया गया है।
- पार्किंग स्थल चिन्हित एवं नियंत्रित हैं।
- आपात वाहनों के लिए ग्रीन कॉरिडोर सुनिश्चित किया गया है।

4. जल सुरक्षा एवं डूबाव रोकथाम

- जल पुलिस/SDRF/स्थानीय गोताखोरों की तैनाती की गई है।
- नदी के जलस्तर, बहाव और मौसम की सतत निगरानी की जा रही है।
- प्रतिबंधित जल क्षेत्रों में प्रवेश रोकने के लिए कठोर उपाय हैं।

5. मौसम एवं आपदा पूर्व चेतावनी

- मौसम विभाग से समन्वय कर पूर्वानुमान लिया गया है।
- अत्यधिक वर्षा, आंधी, बिजली गिरने या बाढ़ की स्थिति में कार्ययोजना तैयार है।
- आवश्यकता पड़ने पर आयोजन रोकने/सीमित करने का अधिकार स्पष्ट है।

6. स्वास्थ्य एवं आपात प्रतिक्रिया

- जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल पोस्ट और एंबुलेंस तैनात की गई हैं।
- नजदीकी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है।
- सामूहिक दुर्घटना की स्थिति में Mass Casualty Management Plan सक्रिय है।

7. समन्वय एवं नियंत्रण

- एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर/नोडल अधिकारी नामित है।
- सभी विभागों के बीच वायरलेस/मोबाइल संचार सुचारु है।
- आयोजन के दौरान रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है।

8. आयोजन पश्चात (post-event)

- सुरक्षित एवं चरणबद्ध निकासी (Phased Dispersal) सुनिश्चित की गई है।
- किसी भी घटना/निकट-दुर्घटना (Near Miss) का दस्तावेजीकरण किया गया है।
- आयोजक से अनुपालन रिपोर्ट ली गई है।